न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या: 39/22 दायर दिनांक: 26.08.2022
जीसीएमएस नं. 2022/271

महेन्द्रसिंह पुत्र श्री बृजमोहन जाति जाट नि. अईपुर (मंशापुरा), तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता— 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 12.07.2024

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 536/421 रकबा 0.08, 206 रकबा 1.26, 345 रकबा 0. 62, 388 रकबा 0.01, 428 रकबा 0.20, 434 रकबा 0.57, 435 रकबा 0.62, 486 रकबा 0.68, 498 रकबा 1. 50, 499 रकबा 0.01, 503 रकबा 0.63, 509 रकबा 0.49, 510 रकबा 0.43, 512 रकबा 0.25, 537/421 रकबा 0.06, 73 रकबा 2.43, 114 रकबा 0.60, 542/342 रकबा 0.07, 71 रकबा 2.43, 485 रकबा 0.04, 65 रकबा 3.51 हैक्टे. वाके अईपुर, तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मेंदर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

उक्त खातेदारी की आराजी जो प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है, पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सहवन से महेन्द्र के स्थान पर महेश गलत अंकित कर दिया था। जिस पर प्रार्थी ने उक्त गलत इन्द्राज को शुद्ध कराने हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, वैर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र महेन्द्र बनाम राज. सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का मुकदमा नंबर 178/2004 पेश किया। जिसमें न्यायालय श्रीमानजी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के पक्ष में निर्णित करते हुए तहसीलदार, वैर को गलत इन्द्राज महेश के स्थान पर महेन्द्रसिंह दर्ज करने के आदेश देते हुए एक पत्र कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के पत्रांक 3591 दिनांक 23.07.2004 तहसीलदार, वैर को जारी किया। जिस पर उक्त आदेश के मुताबिक प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज महेश के स्थान पर महेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया गया।

उक्त आदेश के बाद संवत 2066—2069 तक प्रार्थी का नाम सही चला आ रहा था। लेकिन पुनः राजस्व कर्मचारियों द्वारा आधार वर्ष की जमाबन्दी संवत 2074—2074 में प्रार्थी के सही नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर गलत नाम महेश अंकित कर दिया। जिसके आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में भी गलत नाम महेश दर्ज है। जिसके कारण प्रार्थी को खातेदारी अधिकारों से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी का उपयोग व उपभोग करने से भी वंचित होना पड रहा है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में गलत नाम महेश के स्थान पर महेन्द्रसिंह शुद्ध किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जाँच रिपोर्ट पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हमने तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली–भाँति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख. नं. आ.ख.नं. 536/421 रकबा 0.08, 206 रकबा 1.26, 345 रकबा 0.62, 388 रकबा 0.01, 428 रकबा 0.20, 434 रकबा 0.57, 435 रकबा 0.62, 486 रकबा 0.68, 498 रकबा 1.50, 499 रकबा 0.01, 503 रकबा 0.63, 509 रकबा 0.49, 510 रकबा 0.43, 512 रकबा 0.25, 537/421 रकबा 0.06, 73 रकबा 2.43, 114 रकबा 0.60, 542/342 रकबा 0.07, 71 रकबा 2.43, 485 रकबा 0.04, 65 रकबा 3.51 हैक्टे. वाके अईपुर, तह. भुसावर में प्रार्थी का नाम महेश के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र बृजमोहन दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)